

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] No. 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2018/माघ 23, 1939

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2018/MAGHA 23, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2018

फां. सं. 1–1/2012 (ए.सी.).–निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:–

प्रस्तावना

जबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अ०आ०) को विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारिण करने तथा समन्वय स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

और जबिक व्यापक गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना अत्यावश्यक है;

इसलिए, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के खण्ड (ञ) के साथ पिठत धारा **26** की उपधारा **(1)** के खण्ड (च) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

1. <u>लघ् शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन</u>

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालयों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने तथा स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव संबंधी उपाय) विनियम, 2018 कहा जायेगा।
- 1.2 ये विनियम उन सभी महाविद्यालयों / संस्थानों पर लागू होंगे जो देश के विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं अथवा उनके संघटक महाविद्यालय है, तथा जो स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं।

831GI/2018 (1)

1.3 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :--

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- 2.1 "शैक्षणिक परिषद्" का अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् है।
- 2.2 "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 से है।
- 2.3 "अध्ययन मण्डल" का अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय के विभाग के अध्ययन मण्डल से है।
- 2.4 "महाविद्यालय" से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान से है जिसे इसी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाए, और जो किसी विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों के नियमों तथा विनियमों के अनुरूप स्नातकपूर्व तथा/अथवा स्नातकोत्तर तथा/अथवा पी.एच.डी पाठ्यक्रम चलाता है तथा जिसे ऐसे कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने तथा अध्ययनरत मौजूदा छात्रों को ऐसी योग्यता प्रदान करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम माना गया है।
- 2.5 "आयोग" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
- 2.6 "वित्त समिति" का अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय की वित्त समिति से है।
- 2.7 "शासी निकाय" का अभिप्राय स्वायत्त महाविद्यालय के शासी निकाय से है, जो न्यास परिषद्, अथवा प्रबंधन बोर्ड अथवा कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंध समिति से भिन्न है।
- 2.8 "अधिसूचना" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के बाद संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्वायत्त घोषित करने के लिए जारी की गई अधिसूचना से है।
- 2.9 ''मूल विश्वविद्यालय" से अभिप्राय उस विश्वविद्यालय से है जिसके साथ महाविद्यालय संबद्ध है अथवा जिसका संबद्ध महाविद्यालय एक संघटक है।
- 2.10 "सांविधिक निकाय" से अभिप्राय वर्तमान में लागू विधि के अधीन, उच्चतर शिक्षा के संगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के विहित मानकों के निर्धारण तथा उनके रखरखाव के लिए गठित किए गए किसी निकाय से है।

3. स्वायत्त महाविद्यालय की भूमिका / निबंधन और शर्तें

- 3.1 वर्तमान पाठ्यक्रम / कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा अपने स्वयं के पाठ्यक्रम / अध्ययन कार्यक्रम और पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना, पुनर्रचना करना तथा विहित करना।
- 3.2 समय—समय पर यथा संशोधित उपाधियों के विनिर्दिष्टीकरण, 2014 तथा के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामों के भीतर नए पाठ्यक्रम / कार्यक्रम तैयार करना।
- 3.3 छात्रों के कार्यनिष्पादन का आंकलन, परीक्षाओं के संचालन तथा परिणामों की अधिसूचना की पद्धित विकिसत करना।
- 3.4 परिणााम घोषित करना, अंक तालिका जारी करना, अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण तथा प्रमाण-पत्र जारी करना; तथापि विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रमाणपत्र पर महाविद्यालय के नाम के साथ उपाधि प्रदान की जाएगी।
- 3.5 स्वायत्त महाविद्यालयों को मूल विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। स्वायत्तता का स्तर प्रदान करने के समय एक मुश्त शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार के शुल्क का निर्धारण मूल विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति द्वारा किया जा सकता है।
- 3.6 आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार / राष्ट्रीय नीति के अनुरूप प्रवेश के लिए नियम निर्धारित करना।
- 3.7 अपने स्वयं के स्तर पर पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण कर सकते हैं।
- 3.8 अपने स्वयं के शासी निकाय, अकादिमक परिषद, अध्ययन मण्डल तथा वित्त सिमिति का गठन कर सकते हैं।

- 3.9 उन्हें पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा अपने स्वयं के प्रशासनिक कर्मचारी वृंद तथा प्रधानाचार्य सहित शैक्षणिक संकाय को नियुक्त करने का विशेषाधिकार होगा, तथापि समय—समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादिमक कर्मचारी वृंद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव) संबंधी विनियम, 2010 अनुसार कर्मचारी वृंद की नियुक्ति की जाएगी।
- 3.10 स्वायत्त महाविद्यालय, स्वायत्त का दर्जा प्राप्त होने से पूर्व जो निधियां प्राप्त कर रहे थे, (यदि कोई हो तो), वह प्राप्त करते रहेंगे।
- 3.11 महाविद्यालय को संस्थागत स्तर पर स्वायत्तता प्रदत्त है तथा यह आंशिक स्तर पर प्रदत्त नहीं है तथा इसमें महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी स्तर के कार्यक्रम जैसे स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा पी.एच.डी. शामिल होंगे। स्वायत्त का दर्जा प्रदान करने के बाद महाविद्यालय द्वारा प्रारम्भ किए पाठ्यक्रम स्वायत्तता के क्षेत्र में स्वतः आ जायेंगे।
- 3.12 महाविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान करने के समय नामांकित विद्यार्थी स्वायत्तता के तहत शामिल होंगे।
- 3.13 प्रारम्भ में स्वायत्तता का दर्जा दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा; खण्ड 6.5 के अधीन शामिल महाविद्यालयों के अलावा अन्य महाविद्यालयों को आगे पांच वर्ष के लिए विस्तार दिया जाएगा।

4. मूल विष्वविद्यालय की भूमिका

- 4.1 स्वायत्तता स्तर के लिए महाविद्यालय का आवेदन को अग्रेषित करना / विशेषज्ञ समिति / विभिन्न सांविधिक निकायों में सदस्य का नामांकन करना तथा महाविद्यालय को स्वायत्तता का स्तर प्राप्त होने के बाद एक स्वायत्त संस्था के रूप में संचालन करने के लिए 30 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करना।
- 4.2 यदि विश्वविद्यालय 30 दिनों के भीतर प्रस्ताव / नामांकन अग्रेषित नहीं करता है तो यह समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वायत्तता का स्तर प्रदान करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं है।
- 4.3 स्वायत्तता प्राप्ति के बाद महाविद्यालय स्वायत्तता संबंधी विशेष सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता जारी रखेंगे।

राज्य सरकार की भूमिका

- 5.1 30 दिनों के भीतर विशेषज्ञ समिति / विभिन्न सांविधिक निकायों में नामांकन करना।
- 5.2 राज्य सरकार, सरकारी / सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को स्वायत्तता का स्तर प्राप्त होने से पूर्व की भांति ही निधियां प्रदान करना जारी रखेगी।
- 5.3 यह सुनिश्चित करना कि सभी स्वीकृत संकायों के पद नियमित एवं निरंतर आधार पर भरे जाते हैं तथा किसी भी समय कम से कम 85% पद भरे हुए हों।

6. पात्रता

- 6.1 महाविद्यालय (किसी भी विधा विशेष का) चाहे वह सहायता प्राप्त हो, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त हो अथवा सहायता विहीन / स्ववित्तपोषित हो, बशर्ते की वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत आते हों।
- 6.2 महाविद्यालय कम से कम 10 वर्ष से अस्तित्व में रहा हो।
- 6.3 महाविद्यालय एन.ए.ए.सी. द्वारा न्यूनतम 'ए' ग्रेड से प्रत्यायित हो अथवा एन.बी.ए. द्वारा न्यूनतम 675 अंकों के साथ कम से कम तीन कार्यक्रमों के लिए अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी से समन्रूफप प्रत्यायन ग्रेड/प्राप्तांक प्राप्त हो। तथापि, यदि संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या तीन से

कम हो, तो प्रत्येक कार्यक्रम मे 675 अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किए जाएं। आवेदन के समय प्रत्यायन का दर्जा वैध होना चाहिए।

बशर्ते भविष्य में, मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अविध के भीतर इस पात्रता शर्त का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

संघटक महाविद्यालय को पात्रता प्राप्ति हेतु एन.ए.ए.सी / एन.बी.ए / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा अलग से प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

- 6.4 (i) ऐसे महाविद्यालय जिन्हें आवेदन के समय एन.ए.ए.सी के 4 प्वाइंट स्केल में से 3.00 तथा अधिकतम 3.25 तक के प्राप्तांक अथवा तद्नुसार एन.बी.ए. / वि.अ.आ द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित प्राप्तांक प्राप्त होने पर विधिवत् गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने हेत् विचार किया जायेगा।
 - (ii) एन.ए.ए.सी. के 3.26 से अधिकतम 3.50 तक अंक अथवा तद्नुसार एन.बी.ए. / वि.अ.आ. द्वारा सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित ग्रेड / प्राप्तांक एक पूर्ण चरण हेतु तथा उसी प्रकार द्वितीय चरण में प्रत्यायित होने पर विशेषज्ञ समिति द्वारा निरीक्षण के बिना ही महाविद्यालय को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार किया जायेगा।
 - (iii) ऐसे महाविद्यालय जिन्हें आवेदन करते समय एन.ए.ए.सी. के 4 प्वाइंट स्केल में से 3.51 तथा इससे अधिक अथवा एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यायित कम से कम तीन कार्यक्रमों में से प्रत्येक में से न्यूनतम 750 अंक प्राप्त हों अथवा वि030310 द्वारा सूचीबद्ध किसी प्रत्यायन एजेंसी से समान ग्रेड / प्राप्तांक होने पर उन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के बिना ही स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

तथापि, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम जैसे (क) उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैगिंग की समस्या के निराकरण संबंधी विनियम, 2012 (ख) विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन) संबंधी विनियम, 2012 (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 आदि का अक्षरशः पालन करना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त 6.4 (ii) तथा (iii) के तहत सम्मिलित महाविद्यालयों के आवेदन पर आयोग द्वारा विचार किए जाने तथा अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार विचार किया जायेगा।

6.5 यदि किसी स्वायत्त महाविद्यालय ने एन.ए.ए.सी. के 4 प्वाइंट स्केल में से 3.51 तथा इससे अधिक अथवा एन.बी. ए. द्वारा प्रत्यायित कम से कम तीन कार्यक्रमों में से प्रत्येक में से न्यूनतम 750 अंक प्राप्त हों अथवा वि0अ0आ0 द्वारा सूचीबद्ध किसी प्रत्यायन एजेंसी से समान ग्रेड / प्राप्तांक प्राप्त किए हों, तो ऐसे महाविद्यालयों को बिना स्थल निरीक्षण किए अगले दस वर्षों तक के लिए स्वायत्तता का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा।

(राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् / एन.बी.ए / वि०अ०आ० की सूचीबद्ध प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायन प्रमाणपत्र में उल्लिखित प्रत्यायन अविध के चरण के समाप्त होने से निर्धारित छह माह से पूर्व यिद कोई महाविद्यालय पुनः प्रत्यायन हेतु आवेदन करता है, तो दो लगातार प्रत्यायन के मध्य के अन्तर की अविध को माफ कर दिया जायेगा। अन्य संस्थानों के मामलों में, जिन्होंने उक्त वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन नहीं किया है ऐसे मामले में दो प्रत्यायन के चरणों के मध्य के अंतराल की अधिकतम एक वर्ष की अविध माफ की जाएगी।)

7. स्वायत्तता का स्तर प्रदान करना / विस्तार

7.1 स्वायत्तता बनने की इच्छा रखने वाले महाविद्यालयों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वर्ष में किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं।

- 7.2 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रिकार्ड के लिए मूल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि को दर्शाते हुए प्रस्ताव की अग्रिम प्रति अग्रेषित करेंगे।
- 7.3 महाविद्यालय मूल / सम्बद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्ताव की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर भेजेंगे। यदि प्रस्ताव, विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, तो इस निर्णय के बारे में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को "कारण सहित आदेश" के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- 7.4 यदि विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति के लिए नामितियों के नाम निर्दिष्ट नहीं कर पाते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थल निरीक्षण के साथ कार्य को जारी रख सकता है तथा महाविद्यालय के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है।
- 7.5 यदि महाविद्यालय दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र पाया जाता है, तो आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित तीन विशेषज्ञ सदस्यों की विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के साथ स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने / स्वायत्तता को बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच करेंगे। (जिसमें किसी स्वायत्त महाविद्यालय के आचार्य / प्रधानाचार्य स्तर के सदस्यगण शामिल होने चाहिए) जिनमें से एक अध्यक्ष, मूल / संबद्ध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्य होंगे। दौरे का समन्वय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक अधिकारी को नामित किया जा सकता है।
- 7.6 स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने / विस्तार करने का निर्णय स्वायत्त महाविद्यालयों पर स्थायी समिति (तीन आयोग सदस्यों की) द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद लिया जायेगा। अनुमोदन—पत्र स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर जारी किया जा सकता है। तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्णय की अभिपुष्टि की जा सकती है।
- 7.7 यदि स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय के प्रस्ताव को किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है, तो महाविद्यालय पुनः आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन यह पिछले प्रस्ताव की अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष पहले नहीं किया जा सकेगा।
- 7.8 स्वायत्त महाविद्यालय, स्वायत्तता विस्तार हेतु अविध के समाप्त होने से छह महीने पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करेंगे।
- 7.9 प्रत्यायन के चरण की समाप्ति की स्थिति में महाविद्यालय को स्वायत्तता विस्तार हेतु एन.ए.सी.सी. / एन.बी.ए. द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- 7.10 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वायत्तता विस्तार होने तक महाविद्यालय की स्वायत्तता जारी रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालय को स्वायत्तता विस्तार करते समय अंतरिम अवधि पर भी विचार करेगा।
- 7.11 यदि कोई स्वायत्त महाविद्यालय स्वायत्तता के दर्जे को समाप्त करना चाहता है, तो इस विषय में संबंधित विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ संकल्प अग्रेषित करने की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। तथापि, स्वायत्तता के दर्जे की समाप्ति केवल स्वायत्तता के समय में भर्ती किए गए छात्रों के अन्तिम बैच के उत्तीर्ण होने के बाद ही प्रभावी होगी।

महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में मानदंड

- 8.1 विगत में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अकादिमक प्रतिष्ठा तथा पिछला कार्यनिष्पादन तथा उसकी पिछले अकादिमक / शिक्षणेत्तर / शैक्षिक विस्तार क्रियाएं।
- 8.2 संकाय के अकादमिक / विस्तार / शिक्षकों की विशेष अनुसंधान उपलब्धियां।
- 8.3 छात्रों तथा शिक्षकों के चयन में सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन गुणवत्ता तथा श्रेष्टता।

- 8.4 अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय की पुस्तकों तथा ई—संसाधन, प्रयोगशालाएं तथा उपकरणों, खेलकूद सुविधाओं, मनोरंजन क्रियाकलापों की सुविधाएं, संकाय तथा विद्यार्थियों के लिए आवासीय कमरे, परिवहन सुविधा आदि के संबंध में संसाधनों की पर्याप्तता।
- 8.5 संस्थागत प्रबंधन की गुणवत्ता।
- 8.6 संस्थान की वित्तीय सुदृढ़ता।
- 8.7 प्रशासनिक ढाँचा की प्रतिक्रियात्मकता।
- 8.8 नवोन्मेषी सुधारों के संवर्धन में संकाय को उत्प्रेरित करना तथा उनसे जुड़ाव।

स्वायत्त महाविद्यालयों की निगरानी

- 9.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जानकारी देते हुए महाविद्यालय की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में बाह्रय सहयोगी दल होंगे, जिसमें प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे और यह महाविद्यालय की कार्यनिष्पादन से संबंधित रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजेंगे। यह रिपोर्ट महाविद्यालय की वेबसाइट पर जनसाधारण के लिए प्रदर्शित की जायेगी। बाह्रय सहयोगी समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।
- 9.2 आई.क्यू.ए.सी. के बाह्रय सहयोगी दल द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दिए किये जाने पर अथवा शिकायत के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी स्वयं की विशेषज्ञ सिमिति गठित करने का अधिकार होगा तथा कारण सिहत आदेश पारित करके और अधिसूचना के जिरए प्रबंधन को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद महाविद्यालय के स्वायत्तता के स्तर को रह कर सकते हैं।
- 9.3 स्वायत्त महाविद्यालय अपनी वेबसाइट पर अनिवार्यतः अपने पाठ्यक्रमों की सूचना, शुल्क, संकाय के विवरण, योग्यता तथा विशिष्ट आई.डी, प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विवरण, महाविद्यालय के शोध संबंधी क्रियाकलापों तथा भर्ती किए गए पी.एच.डी. में नामांकित छात्रों, यदि कोई हों तो, सिहत उनकी भर्ती की तिथि, विषय तथा पर्यवेक्षक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
- 9.4 महाविद्यालय अपनी वेबसाइट पर समय—समय पर अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विभिन्न विनियमों में यथा अधिदेशित विभिन्न समिति / प्रकोष्ठों के सृजन के बारे में जानकारी देगा। महाविद्यालय सांविधिक निकायों की नियमित रूप से बैठक आयोजित करेगा तथा बैठकों की कार्यवाही महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- 9.5 महाविद्यालय निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालय के बारे में सभी सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा तथा इसे स्वयत्तता के दर्जा हेतु आवेदन करने समय/स्वायत्तता का दर्जा बढ़ाने के लिए आवेदन करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी भेजेगा। महाविद्यालय निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार वार्षिक रूप से प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगा।
- 9.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित सभी विनियमों का सभी स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा इस संबंध में एक वचन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।
- 9.7 किसी स्वायत्त महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत संकाय सदस्यों की संख्या महाविद्यालय में स्वीकृत संकाय सदस्यों की कुल संख्या से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 10. नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने के संबंध में मामले
- 10.1 स्वायत्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमित के बिना डिप्लोमा (स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर) अथवा प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, जहाँ कही आवश्यकता हो, महाविद्यालय के

संबंधित सांविधिक निकाय से अनुमित प्राप्त कर ली जाए। डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र महाविद्यालय की मुहर से जारी किए जायेंगे। तथापि, विश्वविद्यालय को इस प्रकार आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

- 10.2 स्वायत्त महाविद्यालय, महाविद्यालय की अकादिमक परिषद् तथा संबंधित सांविधिक परिषद्(दों) से अनुमित प्राप्त करके नए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर / पी.एच.डी. पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते उपाधियों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित उपाधियों की विशिष्टीकरण के संबंध में अधिसूचना, 2014 के अनुरूप होंगे। इस प्रकार के पाठ्यक्रम, घण्टों की संख्या, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा मानक के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / विश्वविद्यालय द्वारा विहित न्यूनतम मानकों पर खरे उतरेंगे तथा विश्वविद्यालय को इन पाठ्यक्रमों के संबंध में विधिवत् रूप से सूचित किया जायेगा।
- 10.3 स्वायत्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप महाविद्यालय की अकादिमक परिषद् के अनुमोदन से अपने मौजूदा पाठ्यक्रम को पुनर्संरिचत / पुनर्रिचत कर समय—समय पर यथासंशोधित उपाधियों के विशिष्टीकरण के संबंध में अधिसूचना, 2014 के अनुसार पुनः नामकरण भी कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही के संबंध में विश्वविद्यालय को विधिवत्रूप से सूचित किया जाएगा।

11. परीक्षा प्रकोष्ठ तथा प्रणाली

- 11.1 स्वायत्त महाविद्यालय में एक परीक्षा प्रकोष्ठ होगा जिसके प्रधान परीक्षा नियंत्रक होंगे, महाविद्यालय का प्राचार्य मुख्य परीक्षा नियंत्रक होंगे।
- 11.2 परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिए उप परीक्षा नियंत्रक तथा अन्य कार्यालय कर्मचारी वृंद होंगे।

12. वित्तीय सहायता

12.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना के दिशानिर्देशों (पृथक रूप से विहित) के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को स्वायत्तता अनुदान नहीं दिया जायेगा। स्वायत्तता अनुदान के उपयोग तथा खातों के रखरखाव से संबंधित मामलों में महाविद्यालय योजना के दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्देशित होगा।

13. स्वायत्त महाविद्यालयों की शासन प्रणाली

- 13.1 स्वायत्त महाविद्यालयों में शैक्षिक, वित्तीय तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यों का उपर्युक्त रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सांविधिक निकाय होने चाहिए:
 - (क) शासी निकाय
 - (ख) अकादिमक परिषद
 - (ग) अध्ययन मण्डल
 - (घ) वित्तीय समिति

(शासी निकाय, न्यासी मंडल / प्रबंध मंडल / कार्यकारी समिति / प्रबंध समिति से भिन्न होता है)

13.2 इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में गैर—सांविधिक सिमितियाँ जैसे योजना तथा मूल्यांकन सिमिति, शिकायत निवारण सिमिति, परीक्षा सिमिति, प्रवेश सिमिति, पुस्तकालय सिमिति, छात्र कल्याण सिमिति, आंतरिक शिकायत सिमिति, शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों संबंधी सिमिति, तथा अकादिमक लेखापरीक्षा सिमिति होगी।

13.3 शासी निकाय:

क. न्यास / समिति द्वारा संचालित निजी / स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय / संघटक महाविद्यालय की शासी परिषद् की संरचना

संख्या	श्रेणी	स्वरूप
5 सदस्य	प्रबंधन	अध्यक्ष के रूप में सभापति अथवा अध्यक्ष / निदेशक के साथ उप विधि तथा संघटन के अनुसार न्यास अथवा प्रबंधन
2 सदस्य	महाविद्यालय के शिक्षक	प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता के आधार क्रमावर्ती रूप से नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	शिक्षाविद् अथवा उद्योगपति	प्रबंधन द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामिति	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिति	कम से कम प्रोफेसर के पद पर आसीन अथवा उच्चतर शिक्षा निदेशालय/उच्चतर शिक्षा संबंधी राज्य परिषद् के राज्य सरकार के अधिकारी
1 सदस्य	विश्वविद्यालय का नामिति	विश्वविद्यालय द्वारा नामित नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पदेन

ख. शासकीय महाविद्यालयों के शासी निकाय की संरचना

सदस्य	श्रेणी	स्वरूप
· ·		
3 सदस्य जिसमें एक	शिक्षाविद, उद्योगपति, पेशेवर	राज्य सरकार द्वारा नामित, कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की
अध्यक्ष होगा		योग्यता रखने वाले शैक्षिक अभिरूचि वाले व्यक्ति
2 सदस्य	महाविद्यालय के अध्यापक	प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती रूप से नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	शिक्षाविद् अथवा उद्योगपति	प्राचार्य द्वारा २ वर्षों के लिए नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट
	नामिति	
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिति	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर	विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पदेन

ग. विष्वविद्यालय द्वारा संचालित संघटक महाविद्यालयों के शासी निकाय की संरचना

सदस्य	श्रेणी	स्वरूप
3 सदस्य जिसमें	शिक्षा विद, उद्योगपति, पेशेवर	विश्वविद्यालय द्वारा नामित, कम से कम स्नातकोत्तर स्तर की
एक अध्यक्ष होगा		योग्यता रखने वाले शैक्षिक अभिक्तचि वाले व्यक्ति

2 सदस्य	महाविद्यालय के अध्यापक	प्राचार्य द्वारा वरिष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती रूप से नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	राज्य सरकार का नामिति	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर	विश्वविद्यालय द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामिति	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट
1 सदस्य	महाविद्यालय के प्राचार्य	पदेन

अवधि : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामिति जिसका पांच वर्ष का कार्यकाल होगा उसके अलावा शासी निकाय को 3 वर्षों के बाद पुनर्गठित किया जाएगा।

बैठक : शासी निकाय की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।

शासी निकाय के कार्यकरण :

संबंधित महाविद्यालय के उपविधि में वर्तमान उपबंधों के अधीन और राज्य सरकार / मूल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन शासकीय निकाय निम्नवत् कार्य करेगा :

- जिन उद्देश्यों के लिए महाविद्यालय को स्वायत्तता का स्तर प्रदान किया गया है, उन्हें पूर्ण करने के लिए महाविद्यालय को दिशानिर्देश देगा।
- शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, स्टुडेंटशिप, पदक, पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र आरंभ करना।
- अध्ययन के नए कार्यक्रमों को अनुमोदित करना जिससे उपाधि तथा / अथवा डिप्लोमा प्रदान किए जा सकें।
- समय—समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप शासी निकाय / राज्य सरकार द्वारा सभी शिक्षण संकाय / प्रधानाचार्य की भर्तियाँ करना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करने से पहले महाविद्यालय के वार्षिक बजट को अनुमोदित करना।
- सभी अन्य कार्य निष्पादित करना तथा समितियाँ बनाना जिन्हें महाविद्यालय के समुचित विकास के लिए आवश्यक तथा उचित समझा जाए।

13.4 अकादिमक परिषद्

अकादिमक परिषद् का संरचना

- 1. प्राचार्य (अध्यक्ष)।
- 2. महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष।
- 3. महाविद्यालय में सेवा में विरष्ठता के आधार पर क्रमावर्ती रूप से शैक्षिक स्टॉफ के विविध श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालय के 4 शिक्षक।
- 4. उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विज्ञान आदि के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाविद्यालय से इतर कम से कम 4 विशेषज्ञ / शिक्षाविद जिन्हें शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।
- 5. कम से कम प्रोफेसर के स्तर के विश्वविद्यालय के तीन नामिति।
- 6. प्रधानाचार्य द्वारा नामनिर्दिष्ट एक संकाय सदस्य (सदस्य सचिव)।

अवधि नामनिर्दिष्ट सदस्यों की अवधि 3 वर्ष की होगी।

बैठक अकादिमक परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।

अकादमिक परिषद के क्रियाकलाप

अकादिमक परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

- (क) अध्ययन पाठ्यक्रम, अकादिमक नियम, पाठ्यक्रम तथा उनके संशोधन निर्देशात्मक तथा मूल्यांकन व्यवस्था पद्धित उनसे संबंधित प्रक्रिया आदि के संबंध में अध्ययन मण्डल के प्रस्तावों को संशोधन के साथ तथा संशोधन के बिना संवीक्षा करना तथा अनुमोदित करना, बशर्ते कि जहाँ अकादिमक परिषद् किसी प्रस्ताव पर मतभेद रखती है, वहाँ संबंधित अध्ययन परिषद् को कारण देते हुए रदद / विचारार्थ वापस करने का अधिकार होगा।
- (ख) सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, महाविद्यालय में विभिन्न प्रोग्रामों के विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में नियम बनाना।
- (ग) खेलकूद, शिक्षेणत्तर गतिविधि तथा खेल के मैदान तथा छात्रावास के कार्य तथा उचित रखरखाव के संबंध में नियम बनाना।
- (घ) नये अध्ययन विद्यार्थी वृत्ति कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए शासी परिषद् को संस्तुति करना।
- (ङ) छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, फेलोशिप, पुरस्कार तथा पदक तथा उनको प्रदान करने से संबंधित नियमों को शासी निकाय को संस्तुति करना।
- (च) अकादिमक कार्यों से संबंधित सुझावों पर शासी निकाय को परामर्श देना।
- (छ) शासी निकाय द्वारा दिए गए अन्य कार्यो को निष्पादित करना।

13.5 अध्ययन मण्डल :

अध्ययन मण्डल की संरचना :

- 1. संबंधित विभागाध्यक्ष (अध्यक्ष)।
- 2. प्रत्येक विशेषज्ञ संकाय के सदस्य।
- 3. अकादिमक परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले मूल विश्वविद्यालय के बाहर से 2 विषय-विशेषज्ञ।
- 4. महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छह संस्तृत किए गए सूची में से कुलपति द्वारा नामित एक विशेषज्ञ।
- 5. नियोजन से संबंधित उद्योग कार्पीरेट क्षेत्र / सम्बद्ध क्षेत्र से एक प्रतिनिधि।
- 6. प्राचार्य द्वारा नामित किया जाने वाला एक प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर भूतपूर्व छात्र। अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमित से चुनेंगे।
 - (क) जहाँ विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम बनाने हों, तो महाविद्यालय से बाहर के विशेषज्ञ।
 - (ख) उस संकाय के स्टाफ से अन्य सदस्य।

अवधि:- नामित सदस्यों की अवधि तीन वर्ष होगी।

बैठक:- अध्ययन मण्डल की एक साल में कम से कम दो बैठकें होंगी।

क्रियाकलाप:

महाविद्यालय में विभाग का अध्ययन मण्डल निम्न कार्य करेगा।

- (क) महाविद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संबद्ध लोगों (स्टेक होल्डर) के हितों तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए अकादिमक परिषद् की अनुमित से विविध पाठ्यक्रम बनाना।
- (ख) नवोन्मेष शिक्षण तथा मूल्यांकन तकनीकों के लिए पद्धतियों का सुझाव देना।
- (ग) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अकादिमक परिषद् को नामों की सूची का सुझाव देना।
- (घ) विभाग / महाविद्यालय में अनुसंधान, शिक्षण एवं शिक्षा विस्तार तथा अन्य अकादिमक गतिविधियों का समन्वयन करना।

13.6 <u>वित्त समिति:</u>—

वित्त समिति का गठन :

(क) प्राचार्य (अध्यक्ष)।

- (ख) एक व्यक्ति जो दो वर्ष की अवधि के लिए महाविद्यालय की शासी निकाय द्वारा नामित किया जाना है।
- (ग) सम्बद्ध विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी।
- (घ) महाविद्यालय का वरिष्ठतम् अध्यापक जिसे प्राचार्य द्वारा दो साल के लिए क्रमावर्ती रूप से नामित किया जाना है।

अवधि:— वित्त समिति की अवधि तीन वर्ष होगी।

बैठक:- वित्त समिति की एक साल में कम से कम दो बैठकें होगी।

वित्त समिति के क्रियाकलाप:

वित्त समिति शासी निकाय के लिए परामर्श समिति के रूप में निम्न कार्य करेगी।

- (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त / प्राप्य अनुदान से संबंधित बजट प्राक्कलन तथा शुल्क आदि से प्राप्त आय जो स्वायत्त योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए वसूल की गई है।
- (ख) उपरोक्त के लिए लेखा-परीक्षित खाते संबंधी।

14. विनियमों के उल्लंघन के परिणाम

14.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी दिशा—िनर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, उल्लंघन करने पर दोषी स्वायत्त महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समुचित कार्यवाही करेगा।

15. समस्या समाधानः

15.1 भारत सरकार / मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्या / ओं के समाधान हेत् पूर्णरूपेण अधिकृत है।

पी. के. टाकुर, सचिव [विज्ञापन—III / 4 / असा. / 428 / 17]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(UNIVERSITY GRANTS COMMISSION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2018

University Grants Commission (Conferment of Autonomous Status Upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2018

F. No. 1-1/2012(AC).—The following is published for general information:—

Preamble

Whereas the University Grants Commission (UGC) is mandated to coordinate and determine the standards of higher education in universities;

And whereas college autonomy is instrumental for promoting broad based quality education and excellence;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (j) of Section 12 read with clauses (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations:—

1. Short title, application and commencement:—

1.1 These Regulations shall be called the University Grants Commission (Conferment of Autonomous Status upon Colleges and Measures for Maintenance of Standards in Autonomous Colleges) Regulations, 2018.

- 1.2 These Regulations shall apply to all Colleges/Institutions which are affiliated to, or are constituent colleges of Universities in the country seeking the conferment of Autonomous College status.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions: -

In these Regulations, unless the context otherwise requires—

- 2.1 "Academic Council" means the Academic Council of the Autonomous College
- 2.2 "Act" means the University Grants Commission Act, 1956
- 2.3 "Board of Studies" means the Board of Studies of a Department of the Autonomous College
- **2.4** "College" means any institution, whether known as such or by any other name, which provides for undergraduate and/or postgraduate and/or Ph.D. programmes for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such programmes/courses of study and present students undergoing such courses of study for the examination for the award of such qualification
- 2.5 "Commission" means the University Grants Commission (UGC)
- **2.6** "Finance Committee" means the Finance Committee of the Autonomous College
- **2.7** "Governing Body" means the Governing Body of the Autonomous College, which is different from the Trust Board or the Board of Management or the Executive Committee or the Management Committee
- **2.8** "Notification" means a notification issued by the affiliating University declaring a college as an autonomous one after the conferment of autonomous status by the UGC
- **2.9** "Parent University" means the University to which the college concerned is affiliated, or of which the college concerned is a constituent
- **2.10** "Statutory body" means a body constituted under any law for the time being in force for determining and maintaining prescribed standards of quality in the relevant areas of higher education

3. ROLE/TERMS AND CONDITIONS OF AN AUTONOMOUS COLLEGE

- **3.1** Review existing courses/programmes and, restructure, redesign and prescribe its own courses/programmes of study and syllabi
- **3.2 To** formulate new courses/programmes within the nomenclature specified by UGC as per the Specification of Degrees 2014 and amended from time to time
- 3.3 Evolve methods of assessment of students performance, conduct of examinations and notification of results
- **3.4** To announce results, issue mark sheets, migration and other certificates; however, the degree shall be awarded by the University with the name of the college on the degree certificate
- **3.5** Autonomous colleges need not pay affiliation fee to the parent university every year. One time fee can be paid at the time of conferment of autonomous status. Such fees can be decided by the Executive council of the parent university
- 3.6 Prescribe rules for admission in consonance with the reservation policy of the state government/national policy
- 3.7 May fix fees of the courses at their own level
- 3.8 Constitute their own Governing Body, Academic Council, Board of Studies and Finance Committee
- **3.9** They shall have complete administrative autonomy and have the privilege of appointing their own Administrative staff and teaching faculty including Principal. However, the staff will be appointed as per the UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations 2010 as amended from time to time
- 3.10 The autonomous colleges shall continue to receive funds as being done before the grant of autonomous status, if any

- **3.11** Autonomy granted to the college is at the institutional level and is not partial, and shall cover the programmes at all levels such as U.G., P.G. and Ph.D offered by the college. The courses introduced by the college after the conferment of autonomous status shall automatically come under the purview of autonomy
- 3.12 The students enrolled at the time of granting autonomy to the College shall also be covered under autonomy
- **3.13** Autonomous status shall be granted initially for a period of ten years; further extension shall be for five years at a time except those covered under clause 6.5

4. ROLE OF THE PARENT UNIVERSITY

- **4.1** To forward the application of the college for autonomous status/provide nominee on the Expert Committee/various Statutory Bodies and issue notification within 30 days for a college to function as an autonomous entity once autonomous status is conferred on the college
- **4.2** If the University does not forward the proposal/provide nominee within 30 days, it shall be presumed that the University has no objection to the processing of the proposal by the UGC for conferment of autonomous status
- **4.3** The college on attaining autonomous status will continue to be affiliated to the affiliating University but will enjoy the privileges of autonomy

5. ROLE OF THE STATE GOVERNMENT

- **5.1** To provide nominee on the Expert Committee/various Statutory Bodies within 30 days
- **5.2** The State Govt. will continue to provide the same funds to Government/Aided colleges as they had been providing before the conferment of autonomous status
- **5.3** To ensure that all sanctioned faculty positions are filled on regular and ongoing basis and that a minimum of 85% posts remain filled at all time

6. ELIGIBILITY

- **6.1** Colleges (of any discipline) whether aided, partially aided and unaided/self financing are eligible provided they are under Section 2(f) of the UGC Act
- **6.2** The college should have at least 10 years of existence
- **6.3** The colleges must be accredited by either NAAC with minimum 'A' Grade or by NBA for at least three programme(s) with a minimum score of 675 individually or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency. However, if the number of programme(s) being run by the Institution is less than three, then each of the programmes should secure 675 or more marks. Accreditation status must be valid at the time of application.

Provided further, the existing autonomous colleges will be required to comply with this eligibility condition within a maximum period of five years from the date of notification of these Regulations.

The constituent colleges shall also undergo separate accreditation by NAAC/NBA/UGC empanelled accreditation agency to be considered eligible.

- **6.4** (i) Colleges accredited with a score of 3.0 and above, up to 3.25 on a 4 point scale of NAAC/corresponding NBA score / corresponding accreditation score from a UGC empanelled accreditation agency at the time of application shall be considered for grant of autonomous status with an on-site visit of the duly constituted Expert Committee.
- (ii) Colleges which have a NAAC score of 3.26 and above, up to 3.50 or a corresponding NBA score or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency for one complete cycle and also accredited accordingly in the second cycle, shall be considered for grant of autonomous status without onsite visit by the Expert Committee.
- (iii) Colleges with 3.51 and above in a 4 point scale of NAAC or a minimum of three programmes have been accredited by NBA with a minimum score of 750 individually or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency at the time of application shall be considered for grant of autonomous status without onsite visit by the Expert Committee.

However, the colleges are required to adhere to University Grants Commission's Regulations like (a) curbing the menace of ragging in Higher Education Institutions Regulations 2012; (b) UGC (Promotion of Equity in Higher Educational Institutions) Regulations 2012; (c) UGC (Grievance Redressal) Regulations 2012, etc. in letter and spirit.

The application of colleges covered under 6.4 (ii) and (iii) above shall be considered as the report of the Expert Committee for consideration of the Commission and its approval thereof.

6.5 If an autonomous college has obtained the score of 3.51 and above on a 4-Point scale from NAAC or a minimum of three programmes have been accredited by NBA with a minimum score of 750 individually or a corresponding accreditation Grade/score from a UGC empanelled accreditation agency, the college shall be granted extension of autonomous status for further ten years without on-site visit.

(Colleges which apply for reaccreditation within the stipulated six months before the end of the cycle of accreditation period as mentioned in the Accreditation Certificate issued by National Assessment and Accreditation Council/NBA/UGC empanelled accreditation agency, the gap period between two consecutive accreditations shall be condoned. In case of other institutions which have not applied as per the guidelines mentioned above, the maximum period for condonation would be one year between the two accreditation cycles)

7. CONFERMENT/EXTENSION OF AUTONOMOUS STATUS

- **7.1** A College intending to become autonomous shall make an application in the format specified by the Commission any time during the year
- **7.2** The college shall forward an advance copy of the proposal to University Grants Commission indicating the date of receipt of the proposal by the parent university for the record of the UGC
- **7.3** The College shall submit the proposal to the Parent/Affiliating University which may forward the same to UGC within 30 days of the receipt of proposal. In case the proposal is rejected by the University, the decision shall be communicated to the college and University Grants Commission through a "Speaking Order"
- **7.4** If the University and State Govt. fail to provide the nominees for the UGC Expert Committee, the UGC may proceed with the on-spot visit and take decision on the proposal of the College
- **7.5** If the College is found eligible as per the guidelines, the Commission shall examine the proposal for conferment/extension of autonomous status with an onsite visit by an Expert Committee constituted by the Chairman of the Commission consisting of three expert members (preferably at the level of Professor/Principal of an autonomous college) out of which one shall be the Chairperson, nominees from the Parent/Affiliating University and the State Government. A UGC official may be nominated to coordinate the visit.
- **7.6** The decision for conferment /extension of autonomous status shall be taken by the Standing Committee (comprising of three Commission members) on autonomous colleges after due consideration of the recommendations of the Expert Committee. The approval letters may be issued on the basis of the decision of the standing committee. The decisions may be ratified by the Commission subsequently
- 7.7 If the proposal of a College for the conferment of autonomous status is rejected for any reason whatsoever, the college shall be eligible to reapply, but not before one year from the date of rejection of its earlier proposal
- **7.8** The autonomous College shall apply in the prescribed format to University Grants Commission for extension of autonomous status six months prior to expiry of the autonomy cycle
- **7.9** In case of expiry of accreditation cycle, the College seeking extension of autonomous status must submit a proof of having applied for accreditation by NAAC/NBA to be eligible for extension
- **7.10** Till the extension of autonomous status is awarded by the UGC, the College shall continue to avail the autonomous status. The UGC shall also consider the interim period while granting extension of autonomous status to the College
- **7.11** If an Autonomous College wishes to surrender the autonomous status, it shall follow due process of forwarding the resolution by the Governing Body through the University concerned to UGC for consideration. However, such withdrawal shall take effect only after the last batch of students then enrolled under autonomy passes out

8. CRITERIA FOR GRANTING AUTONOMY TO COLLEGES

- **8.1** Academic reputation and previous performance in university examinations and its academic/co-curricular/extension activities in the past
- 8.2 Academic/extension / research achievements of the faculty
- **8.3** Quality and merit in the selection of students and teachers, subject to statutory requirements in this regard
- **8.4** Adequacy of infrastructure in terms of class rooms, library books and e-resources, laboratories and equipments, sports facilities, facilities for recreation activities, residential accommodation for faculty and students, transport facilities etc.
- **8.5** Quality of institutional management
- **8.6** Financial strength of the institution
- **8.7** Responsiveness of administrative structure
- **8.8** Motivation and involvement of faculty in the promotion of innovative reforms

09. MONITORING OF AUTONOMOUS COLLEGES

- **9.1** IQAC cell shall be established in the college for regular monitoring of the college under intimation to UGC. The Cell shall have an external Peer Team comprising of academicians of repute and will send report to UGC regarding the performance of the College. The report shall also be put on public domain on the website of the College. The external peer review shall be conducted atleast once in a year.
- **9.2** On receipt of adverse report by the external peer team of IQAC or in case of complaint, UGC has the power to constitute its own Expert Committee for careful scrutiny of the report and may revoke the autonomous status of the college after giving due opportunity to the management by way of notification and by passing a speaking order.
- **9.3** The autonomous college shall, without fail, upload on its website information regarding the courses offered by it, the fees for the courses, the details of the faculty alongwith qualification and unique ID, the admission procedure, the details of relevant infrastructures, research activities of the college along with the details of Ph.D. students enrolled, if any, with the date of enrolment, topics and supervisor.
- **9.4** The college shall also put on its website the creation of various Committees/Cells as mandated in the various UGC Regulations notified from time to time. The college shall conduct the meetings of the statutory bodies regularly and upload the minutes of the meetings on the college website.
- **9.5** The college shall upload on its website all the information about the college in the prescribed format and the same shall be sent to UGC while applying for fresh/extension of autonomous status. The college shall also submit progress report and utilization certificate annually as per the prescribed formats.
- **9.6** All the Regulations notified by the UGC shall be followed in letter and spirit by all the Autonomous Colleges and an undertaking to this effect shall be uploaded on the College website.
- **9.7** The number of contractual faculty in an autonomous college should not be more than 10% of the total number of sanctioned faculty positions in the college.

10. MATTERS REGARDING STARTING OF NEW COURSES

- 10.1 An autonomous college is free to start diploma (undergraduate and postgraduate) or certificate courses without prior approval of the University. However, approval of the concerned statutory bodies of the college may be obtained, wherever required. Diplomas and certificates shall be issued under the seal of the college. The University should, however, be informed about such introduction of new courses.
- 10.2 An autonomous college is free to start a new degree or postgraduate course/Ph.D. with the approval of the Academic Council of the college and concerned Statutory Council(s), wherever required, provided the nomenclature of the degree is in consonance with UGC Notification on Specification of Degrees, 2014 as amended from time to time.

Such courses shall fulfill the minimum standards prescribed by the university/UGC in terms of number of hours, curricular content and standards, and the university shall be duly informed of such courses.

10.3 An autonomous college may rename an existing course as per the UGC Notification on Specification of Degrees, 2014 as amended from time to time after restructuring/ redesigning it with the approval of the college Academic Council as per UGC norms. The university should be duly informed of such proceedings.

11. EXAMINATION CELL & SYSTEM

- **11.1** Autonomous College shall have an Examination Cell headed by Controller of Examinations. The Principal of the college shall be the Chief Controller, Examinations.
- 11.2 The Controller of Examinations shall be assisted by the Deputy Controller of Examinations along with other office support.

12. FINANCIAL ASSISTANCE

12.1 The Commission shall provide financial assistance to autonomous colleges as per the extant provisions of the scheme guidelines (prescribed separately). However, self-financing colleges shall not be provided autonomy grant. In matters related to utilization of autonomy grant and maintaining the accounts, the college shall remain guided by the scheme guidelines.

13. GOVERNANCE OF AN AUTONOMOUS COLLEGE

- **13.1** The autonomous college shall have the following statutory bodies to ensure proper management of academic, financial and general administrative affairs:
 - (a) Governing Body
 - (b) Academic Council
 - (c) Board of Studies
 - (d) Finance Committee

(The Governing Body is different from Trust Board/Board of Management/Executive Committee/Management Committee).

13.2 The College shall, in addition, have other non statutory committees such as the Planning and Evaluation Committee, Grievance Redressal Committee, Examination Committee, Admission Committee, Library Committee, Student Welfare Committee, Internal Complaints Committee, Extra-Curricular Activities Committee and Academic Audit Committee.

13.3 GOVERNING BODY:

A. Constitution of Governing Body of Private /Self Financing College/Constituent College run by Trust/Society

Number	Category	Nature
5 Members	Management	Trust or management as per the constitution or byelaws, with the
		Chairman or President/Director as the chairperson
2 Members	Teachers of the College	Nominated by the Principal based on seniority by rotation
1 Member	Educationist or industrialist	Nominated by the management
1 Member	UGC Nominee	Nominated by the UGC
1 Member	State Government nominee	Academician not below the rank of professor or State Government
		official of Directorate of Higher Education/State Council of Higher
		Education
1 Member	University Nominee	Nominated by the University
1 Member	Principal of College	Ex-Officio

B. Constitution of Governing Body of Government Colleges

Number	Category	Nature
3 Members one	Educationist, Industrialist,	Nominated by the State Government, persons of proven academic
of them to be	Professional	interest with at least PG level qualification
Chairperson		
2 Members	Teachers of the College	Nominated by the Principal on seniority by rotation.
1 Member	Educationist or industrialist	Nominated by the Principal for two years
1 Member	UGC Nominee	Nominated by UGC
1 Member	State Government nominee	Nominated by the State Government
1 Member	University Professor	Nominated by the University
1 Member	Principal of College	Ex-Officio

C. Constitution of Governing Body of Constituent Colleges run by University

Number	Category	Nature
3 Members one of	Educationist, Industrialist,	Nominated by the University, persons of proven academic interest
them to be	Professional	with at least PG level qualification
Chairperson		
2 Members	Teachers of the College	Nominated by the Principal on seniority by rotation.
1 Member	State Government nominee	Nominated by the State Government
1 Member	University Professor	Nominated by the University
1 Member	UGC Nominee	Nominated by UGC
1 Member	Principal of College	Ex-Officio

Term: The Governing Body shall be reconstituted every three years except in the case of UGC nominee who shall have a term of five years.

Meetings: Meetings of the Governing Body shall be held at least twice a year.

Functions of the Governing Body:

Subject to the existing provision in the bye-laws of respective college and rules laid down by the state government/parent university, the Governing Body shall:

- Guide the college while fulfilling the objectives for which the college has been granted autonomous status.
- Institute scholarships, fellowships, studentships, medals, prizes and certificates on the recommendations of the Academic Council
- Approve new programmes of study leading to degrees and/or diplomas.
- All recruitments of Teaching Faculty/Principal shall be made by the Governing Body/state government as
 applicable in accordance with the policies laid down by the UGC and State Government from time to
 time.
- To approve annual budget of the college before submitting the same at the UGC.
- Perform such other functions and institute committees, as may be necessary and deemed fit for the proper development of the college

13.4 ACADEMIC COUNCIL:

COMPOSITON OF ACADEMIC COUNCIL:

- 1. The Principal (Chairman)
- 2. All the Heads of Departments in the college
- 3. Four teachers of the college representing different categories of teaching staff by rotation on the basis of seniority of service in the college.
- 4. Not less than four experts/academicians from outside the college representing such areas as Industry, Commerce, Law, Education, Medicine, Engineering, Sciences etc., to be nominated by the Governing Body.
- 5. Three nominees of the university not less than Professors.
- 6. A faculty member nominated by the Principal (Member Secretary).

Term: The term of the nominated members shall be three years. **Meetings**: Academic Council shall meet at least twice a year.

Functions of the Academic Council:

The Academic Council shall have powers to:

- (a) Scrutinize and approve the proposals with or without modification of the Boards of Studies with regard to courses of study, academic regulations, curricula, syllabi and modifications thereof, instructional and evaluation arrangements, methods, procedures relevant thereto etc., provided that where the Academic Council differs on any proposal, it shall have the right to return the matter for reconsideration to the Board of Studies concerned or reject it, after giving reasons to do so.
- (b) Make regulations regarding the admission of students to different programmes of study in the college keeping in view the policy of the Government.
- (c) Make regulations for sports, extra-curricular activities, and proper maintenance and functioning of the playgrounds and hostels.
- (d) Recommend to the Governing Body proposals for institution of new programmes of study.
- (e) Recommend to the Governing Body institution of scholarships, studentships, fellowships, prizes and medals, and to frame regulations for the award of the same.
- (f) Advise the Governing Body on suggestions(s) pertaining to academic affairs made by it.
- (g) Perform such other functions as may be assigned by the Governing Body.

13.5 BOARD OF STUDIES:

Composition of Board of Studies:

- 1. Head of the Department concerned (Chairman).
- 2. The entire faculty of each specialization.
- 3. Two subject experts from outside the Parent University to be nominated by the Academic Council.
- 4. One expert to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of six recommended by the college principal.
- 5. One representative from industry/corporate sector/allied area relating to placement.
- 6. One postgraduate meritorious alumnus to be nominated by the principal. The Chairman, Board of Studies, may with the approval of the principal of the college, co-opt:
- (a) Experts from outside the college whenever special courses of studies are to be formulated.
- (b) Other members of staff of the same faculty.

Term: The term of the nominated members shall be three years.

Meetings: The Board of Studies shall meet at least twice a year.

Functions:

The Board of Studies of a Department in the college shall:

(a) Prepare syllabi for various courses keeping in view the objectives of the college, interest of the stakeholders and national requirement for consideration and approval of the Academic Council;

- (b) Suggest methodologies for innovative teaching and evaluation techniques;
- (c) Suggest panel of names to the Academic Council for appointment of examiners; and
- (d) Coordinate research, teaching, extension and other academic activities in the department/college.

13.6 FINANCE COMMITTEE:

Composition of Finance Committee:

- (a) The Principal (Chairman).
- (b) One person to be nominated by the Governing Body of the college for a period of two years.
- (c) Finance Officer of the affiliating University
- (d) One senior-most teacher of the college to be nominated in rotation by the principal for two years.

Term: Term of the Finance Committee shall be three years.

Meetings: The Finance Committee shall meet at least twice a year

Functions of the Finance Committee:

The Finance Committee shall act as an advisory body to the Governing Body, to consider:

- (a) Budget estimates relating to the grant received/receivable from UGC, and income from fees, etc. collected for the activities to undertake the scheme of autonomy; and
- (b) Audited accounts for the above.

14. CONSEQUENCES OF VOILATION OF REGULATIONS

14.1 All UGC directives shall be strictly followed, failing which UGC may take appropriate actions, as it deems fit, against the defaulting Autonomous College.

15. REMOVAL OF DIFFICULTIES

15.1 University Grants Commission reserves the right to remove difficulty/difficulties in the course of implementation of these Regulations in consultation with the Government of India/Ministry of Human Resource Development.

P. K. THAKUR, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./428/17]